तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
	हरीराम V/S मोहनाराम 100/2013
28/7/20	वकील प्रार्थी उपण पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे पाया कि गया प्रकरण वर्ष 2013 से विचाराधीन है तथा प्रा०पत्र 212 RTAct. एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित 151 CPC के अन्तर्गत है जो कि अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया जिसका अब तक अस्थाई निषेधाज्ञा नही जारी नही की से औचित्य ही समाप्त हो गया है। जिससे बाहागत प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 CPC पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) [illegible] जिला नागौर